राजस्थान सरकार

परिवर्तित बजट 2009-2010

श्री अशोक गहलोत

मुख्यमंत्री

का

बजट भाषण

8 जुलाई 2009

श्रावण कृष्ण १, विक्रम संवत् २०६६

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2009–10 के परिवर्तित बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. माननीय सदस्यों को याद होगा कि हमारी सरकार के गठन के पश्चात् फरवरी माह में चार माह के लिए लेखानुदान **(Vote on Account)** लिया गया था। हम यह चाहते थे कि प्रदेश की जनता की आवश्यकताओं एवं सरकार से उनकी अपेक्षाओं का पुनः आकलन करते हुए ऐसा बजट प्रस्तुत किया जाये, जो सभी कसौटियों पर खरा उतर सके।

3. हमनें शासन सँभालते ही यह निर्णय लिया था कि हमारी पार्टी के घोषणा–पत्र को हमारी नीतियों का आधार बनाया जाये। प्रदेश की जनता से हमनें एक पारदर्शी, संवेदनशील तथा जवाबदेह प्रशासन का वायदा किया था। गत् लोकसभा चुनावों के परिणामों ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश की जनता का हमारी सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों में विश्वास है।

4. वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभाव से हमारा देश एवं अपना प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। वर्तमान परिवेश में केंद्र सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए जो कदम उठाये हैं, तथा दो दिन पूर्व प्रस्तुत केंद्रीय बजट में जो दिशा दी गई है, उसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास की गति को बनाये रखना संभव हो सकेगा। पन्द्रहवीं लोकसभा के प्रथम सत्र में महामहिम राष्ट्रपति महोदया के उद्‌बोधन में केंद्र सरकार के विज़न को अभिव्यक्त किया गया है। हमारी सरकार उस विज़न की प्राप्ति

के लिए प्रतिबद्ध है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार, ऐसे कदम उठायेगी जिनसे प्रदेशवासियों को मंदी की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। अतः यह बजट आम आदमी, ग़रीब और गाँवों को समर्पित है।

5. गत् वर्ष 2008–09 की 14 हजार करोड़ रुपये की योजना के आकार की तुलना में योजना आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 की 17 हजार 322 करोड़ रुपये की योजना अनुमोदित की गई थी। आज प्रस्तुत किये जा रहे बजट में योजना का आकार और बढ़ाकर 18 हजार 634 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है, जो पिछले वर्ष की अनुमोदित योजना से 33 प्रतिशत अधिक है। यह अब तक की हमारे राज्य की सबसे बड़ी वार्षिक योजना होगी।

6. यह प्रसन्नता का विषय है कि राज्य में कच्चे तेल का उत्पादन शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रहा है। हमारी सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है कि रिफाईनरी भी प्रदेश में ही स्थापित हो। मैं आशा करता हूँ कि कच्चे तेल के उत्पादन से, हमें जो अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे, उनसे प्रदेश के विकास को एक नई गति प्रदान की जा सकेगी।

7. अब मैं प्रमुख विभागों के संदर्भ में चालू वर्ष हेतु प्रस्तावित कार्ययोजनाओं का उल्लेख करूँगा।

सार्वजनिक निर्माण :

8. राज्य के ढाँचागत विकास की दृष्टि से सड़कों के महत्त्व से माननीय सदस्य भलीभाँति परिचित हैं। हमारा संकल्प है कि गाँव–गाँव, ढाणी–ढाणी में सड़कों का जाल बिछाया जाये।

9. राज्य में सड़कों एवं पुलों के विकास के लिए वर्ष 2009–10 में योजना मद में 780 करोड़ 93 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष के 607 करोड़ रुपये के प्रावधान की तुलना में लगभग 29 प्रतिशत अधिक है।

10. **'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना'** के अंतर्गत हमें केंद्र सरकार का उदारता से सहयोग मिला है और इस योजना के क्रियान्वयन में हमारा राज्य अग्रणी है। राज्य के 80 प्रतिशत गाँवों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है, जबकि राष्ट्रीय औसत 68 प्रतिशत ही है।

11. आगामी 5 वर्षों में 15 हजार किलोमीटर लंबे राज्य मार्गों एवं जिला सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण करने का भी निश्चय किया गया है। इसकी योजना तैयार की जा रही है।

12. चालू वर्ष में 5 हजार किलोमीटर लंबी सड़कों का चिन्हीकरण कर लिया गया है, जिनका सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण किया जायेगा। इनमें 1 हजार किलोमीटर लंबे राज्य मार्ग, जिला सड़कें एवं अन्य जिला सड़कें तथा 4 हजार किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। इनके लिए विभिन्न मदों में 1 हजार 390 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

13. जनजाति एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 एवं अन्य क्षेत्रों में 500 व इससे अधिक आबादी वाले लगभग सभी गाँवों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है। हमारी योजना है कि गैर–जनजाति एवं गैर–मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी 250 से 500 तक आबादी वाले 2 हजार 776 गाँवों को भी आगामी तीन वर्षों में **'नरेगा'** के अंतर्गत ग्रेवल सड़कों से जोड़ा जाये।

14. जयपुर–भीलवाड़ा एवं भीलवाड़ा–बूँदी राज्य मार्गों की क्रमशः 220 करोड़ रुपये एवं 111 करोड़ रुपये की लागत से बीओटी आधार पर चौड़ाई बढ़ाई जायेगी एवं इनका सुदृढ़ीकरण तथा नवीनीकरण किया जायेगा, जिसमें 20 प्रतिशत राज्यांश होगा।

15. **'रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फंड' (RIDF-15)** के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के लिए 272 करोड़ रुपये के 2 हजार 800 किलोमीटर लंबी सड़कों के प्रस्ताव नाबार्ड द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं। ये कार्य आगामी दो वर्षों में पूर्ण किये जायेंगे।

16. पर्यटन, धार्मिक एवं अन्य महत्त्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने वाली 100 सड़कों के निर्माण हेतु 93 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

17. विभिन्न अस्पतालों एवं समाज कल्याण विभाग के छात्रावास भवनों की विशेष मरम्मत हेतु 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

परिवहन :

18. अख़बारों में रोज प्रकाशित होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के समाचार हम सबको व्यथित करते हैं। अतः हमनें परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में **'स्टेट रोड सेफ्टी कॉउंसिल'** का गठन करने का निर्णय लिया है। यह कॉउंसिल सड़क सुरक्षा के उपायों के संबंध में अपने सुझाव देगी।

19. परिवहन विभाग के कार्यालयों में पारदर्शिता लाने के साथ–साथ राजस्व प्रबंधन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इनको कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ा जायेगा। इस हेतु 8 करोड़ 66 लाख रुपये की योजना मंजूर की जा रही है।

20. राजस्थान रोडवेज़ की कार्यक्षमता में वृद्धि करने, आमजन को बेहतर एवं आरामदायक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगभग 1 हजार पुरानी बसों के स्थान पर नयी बसें क्रय की जा रही हैं। इसमें जयपुर, अजमेर एवं पुष्कर के लिए सिटी बसें जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूअल मिशन के अंतर्गत क्रय की जायेंगी। इसके अतिरिक्त रोडवेज़ में 2 हजार 375 कार्मिकों की नियमित भर्ती करने की योजना है, जिसमें से 793 कार्मिकों की भर्ती इसी वर्ष की जा सकेगी।

21. राजस्थान रोडवेज़ द्वारा विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को रियायती यात्रा की सुविधा दी जा रही है, जिसमें वरिष्ठ नागरिक, निःशक्त, महिलायें, विद्यार्थी, स्वतंत्रता सैनानी, युद्ध विधवाएं, कुष्ठ रोगी, मानसिक विमंदित इत्यादि शामिल हैं। इन रियायतों को जारी रखा जायेगा तथा इनकी भरपाई एवं अन्य अपरिहार्य ख़र्चों की क्षतिपूर्ति की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा रोडवेज़ को चालू वर्ष में 25 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

ऊर्जा :

22. वर्तमान में विद्युत उत्पादन निगम की स्थापित क्षमता 3 हजार 402 मेगावाट है तथा वर्ष 2009–10 में थर्मल पॉवर स्टेशन, सूरतगढ़ की छठी इकाई, कोटा की सातवीं इकाई एवं छबड़ा की पहली व दूसरी

इकाइयां विद्युत उत्पादन प्रारंभ कर देंगी, जिससे हमारी विद्युत उत्पादन क्षमता में 945 मेगावाट की बढ़ोतरी होगी।

23. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में थर्मल पॉवर स्टेशन, कालीसिंध की पहली व दूसरी इकाई, छबड़ा की तीसरी एवं चौथी इकाई एवं रामगढ़ की गैस आधारित थर्मल पॉवर स्टेशन की दो इकाइयों का कार्य वर्ष 2012 तक पूर्ण हो जायेगा। परिणामस्वरूप, हमारी उत्पादन क्षमता में 1 हजार 860 मेगावाट की और बढ़ोतरी होगी।

24. इसके अलावा हमारी सरकार ने कार्य सँभालते ही विद्युत उत्पादन की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन निगम की 660 मेगावाट प्रति इकाई की 6 परियोजनायें स्वीकृत की हैं, जिनमें छबड़ा, सूरतगढ़ एवं गिराल की 2–2 इकाइयां सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में बांसवाड़ा में 2 इकाइयां स्थापित करने हेतु स्वीकृति दी गई है। इन सभी परियोजनाओं की कुल उत्पादन क्षमता 4 हजार 210 मेगावाट होगी। इन सभी परियोजनाओं को वर्ष 2013 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

25. ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत तंत्र में सुधार की दृष्टि से लगभग 2 हजार करोड़ रुपये की ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना चालू वर्ष में प्रारंभ की जायेगी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत के लिए निकटतम 33 के.वी. सब–स्टेशन से एक पृथक 11 के.वी. फीडर स्थापित कर विद्युत आपूर्ति की जायेगी। आगामी 3 वर्षों में 33 के.वी. के लगभग 800 जी.एस.एस. स्थापित किये जायेंगे।

26. हम चाहते हैं कि हमारे किसानों को आवेदन करते ही विद्युत कनेक्शन उपलब्ध हो जाये। अतः हमनें एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने का निर्णय लिया है। चालू वर्ष में, दिसंबर 2007 तक के बकाया सभी लगभग 90 हजार आवेदकों को विद्युत कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे। इसी प्रकार आगामी वर्ष में दिसंबर 2009 तक की प्रतीक्षा सूची समाप्त करने की हमारी योजना है।

27. राज्य में उपलब्ध सौर ऊर्जा का लाभ प्राप्त किये जाने के उद्देश्य से हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 50 मेगावाट क्षमता के पॉवर प्रोजेक्ट्स स्वीकृत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त 50 – 50 मेगावाट क्षमता के 2 प्रोजेक्ट्स इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किये जायेंगे।

28. बॉयोमास आधारित ऊर्जा से आगामी वर्षों में 100 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए शीघ्र ही एक **'नई पॉलिसी'** तैयार की जायेगी। वर्ष 2009–10 में 20 मेगावाट क्षमता के नये बॉयोमास ऊर्जा संयत्र स्थापित किये जायेंगे।

29. वर्तमान में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में 735 मेगावाट क्षमता के पॉवर प्लांट्स स्थापित हैं। चालू वर्ष में 300 मेगावाट अतिरिक्त पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

जल संसाधन :

30. हमारे राज्य में देश का कुल 1.16 प्रतिशत सतही जल उपलब्ध है जबकि प्रदेश का क्षेत्रफल 10.4 प्रतिशत है। जल का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु एक नई **'जल नीति'** तैयार की जायेगी।

31. जल संसाधन एवं सिंचित क्षेत्र विकास हेतु वर्ष 2008–09 के 2 हजार 46 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान को बढ़ा कर वर्ष 2009–10 के बजट में 2 हजार 316 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है।

32. वर्तमान में 2 वृहद्, 12 मध्यम तथा 57 लघु सिंचाई परियोजनायें प्रगति पर हैं, इनमें से चालू वर्ष में 27 लघु सिंचाई परियोजनाओं के कार्य पूर्ण किये जायेंगे।

33. कालीसिंध परियोजना का कार्य इसी वर्ष प्रारंभ कर दिया जायेगा। भीखाभाई–सागवाड़ा नहर को शीघ्र पूरा करने के लिए चालू वर्ष में 32 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

34. राज्य सरकार ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई को बढ़ावा देना चाहती है ताकि सीमित जल से अधिक क्षेत्र में पैदावार की जा सके। नर्बदा परियोजना के समान ही इंदिरा गाँधी नहर परियोजना तथा साहवा, गजनेर, कोलायत, फलौदी, पोकरण एवं बांगरसर लिफ़्ट परियोजनाओं के कुछ भागों में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई करने को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

35. चालू वर्ष में एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई हेतु खोला जायेगा।

36. बारां जिले की परवन वृहद् सिंचाई एवं पेयजल योजना, जिसकी कुल लागत 1 हजार 114 करोड़ रुपये है, के सर्वे तथा विस्तृत

परियोजना प्रतिवेदन के लिए कन्सलटेंसी हेतु 4 करोड़ 64 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इस परियोजना से बारां जिले की अटरू, बारां, अंता, छीपाबड़ौद एवं मांगरोल, झालावाड़ जिले की खानपुर एवं कोटा जिले की सांगोद तहसीलों के 313 गाँवों में 1 लाख 3 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी तथा 820 गाँवों को पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी।

37. बकाया सिंचाई शुल्क की वसूली के लिए **self assessment** पर आधारित सरल और एकबारगी समझौता योजना लागू की जायेगी।

सिंचित क्षेत्र विकास :

38. सिंचित क्षेत्रों में खालों के निर्माण हेतु, इंदिरा गांधी नहर, सिद्धमुख नोहर, अमरसिंह सब–ब्रांच (भाखड़ा प्रणाली), बीसलपुर एवं चंबल परियोजनाओं में कुल 76 हजार हैक्टेयर हेतु 96 करोड़ 94 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

39. गंग, भाखड़ा कमान्ड एरिया में सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन के विस्तार हेतु 538 करोड़ रुपये की परियोजना भारत सरकार को भेजी गई है। इसके अतिरिक्त 150 क्यूसेक तक जल प्रवाह की 27 वितरिकाओं के जीर्णोद्धार हेतु 45 करोड़ 60 लाख रुपये की लागत की योजना के प्रस्ताव भी प्रेषित किये गये हैं। इस योजना के स्वीकृत होने पर 76 हजार हैक्टेयर क्षेत्र के किसान लाभान्वित होंगे।

40. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीसलपुर परियोजना तथा सिद्धमुख नोहर एवं अमरसिंह सब–ब्रांच परियोजना क्षेत्रों में खाला

निर्माण कार्यों की लागत में भारत सरकार ने संशोधन किया है तथा अब ये दरें क्रमशः 22 हजार रुपये, 15 हजार रुपये और 18 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर निर्धारित कर दी गई हैं, जिन्हें राज्य में लागू किया जा रहा है।

41. सिंचाई प्रबंधन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अगले 2 वर्षों में बची हुई समस्त जल उपभोक्ता समितियों के चुनाव कराये जायेंगे।

पेयजल :

42. चालू वर्ष में पेयजल के लिए 4 हजार 126 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जो पिछले वर्ष से 23 प्रतिशत अधिक है।

43. प्रदेश में सतही पेयजल की कमी और भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन के कारण प्रदेशवासियों को पेयजल उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती है। पूर्व सरकार के कार्यकाल में समुचित प्रावधान किये बिना लगभग 14 हजार 200 करोड़ रुपये लागत की पेयजल योजनायें स्वीकृत कर दी गईं, जिनको पूरा करने की लागत अब लगभग 20 हजार करोड़ रुपये है। हम समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर इन योजनाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे।

44. राज्य की सभी ढाणियों, गाँवों एवं क़स्बों को एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न पेयजल योजनाओं से जोड़ा जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में शहरों को बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से 10 क़स्बों एवं

शहरों को पूर्ण रूप से जोड़ा जा रहा है, जिसमें निवाई, मालपुरा, सांभर, नारायणा, चाकसू और पाली शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 10 हजार 929 गाँवों एवं ढाणियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जायेगा।

45. चालू वर्ष में 1 हजार 127 करोड़ रुपये की लागत की 13 बड़ी पेयजल परियोजनाओं का कार्य पूर्ण किया जायेगा, जिनमें, अजमेर जिले की फ़्लोराइड नियंत्रण परियोजनायें, बागेरी का नाका, रामगंजमण्डी–पचपहाड़, टिब्बा क्षेत्र की ग्रामीण योजनायें, क्षेत्रीय योजना आसपुर–डूंगरपुर, उम्मेद सागर धवा–समदड़ी पार्ट–**I** व **II** एवं उदयपुर शहरी योजना इत्यादि शामिल हैं।

46. इसके अतिरिक्त 30 बड़ी परियोजनाओं के कार्य आगे बढ़ाये जायेंगे। चालू वर्ष में इस हेतु 1 हजार 518 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं में मुख्यतः बाड़मेर लिफ़्ट, जयपुर–बीसलपुर, अजमेर–बीसलपुर फेज़–II, पोकरण–फलसूंड, जवाई पाली पाइप लाइन, चंबल–भरतपुर, नागौर लिफ़्ट, बीसलपुर–दूदू, मातासुख जायल, इन्द्रोका माणकलाव खांगटा, अजमेर शहर की वितरण प्रणाली सुधार, नर्बदा एफ आर, रेवा–झालावाड़, चंबल–सवाई माधोपुर तथा तिवरी मथानिया औसियां परियोजनायें शामिल हैं।

47. जिन नई परियोजनाओं का कार्य इस वर्ष हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है, उनमें टोंक–बीसलपुर–उनियारा, जोधपुर शहर की पुनर्गठन योजना एवं पांचला–भदवासिया शामिल हैं।

48. भीलवाड़ा जिले की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु चंबल नदी से पानी आपूर्ति की योजना बनाकर विश्व बैंक की वित्तीय सहायता

से शीघ्र क्रियान्वित करवाया जाना प्रस्तावित है। यह योजना 1 हजार 20 करोड़ रुपये की है तथा इससे भीलवाड़ा जिले के 7 क़स्बे एवं 1 हजार 600 गाँव एवं ढाणियां लाभान्वित होंगी।

49. **'नरेगा'** योजना के अंतर्गत कुए, बावड़ी, तालाब इत्यादि के जीर्णोद्धार का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

50. जोधपुर शहर के भू–जल स्तर में वर्ष 2003 से हो रही निरंतर वृद्धि चिंता का विषय है। इस समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा 12 करोड़ 27 लाख रुपये की योजना स्वीकृत की गई है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

51. वर्तमान में बीपीएल परिवारों को **'मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष'** के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हमनें यह निर्णय लिया है कि पुरानी बीपीएल सूची के जिन लोगों के नाम नई सूची में नहीं आये हैं, उनको स्टेट बीपीएल मानते हुए **'मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष'** के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

52. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए 537 नये उप–स्वास्थ्य केंद्र खोले जायेंगे। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए चिकित्सा अधिकारियों के 540 तथा पैरामेडिकल एवं नर्सिंग के 1 हजार 400 रिक्त पदों पर इसी वर्ष भर्ती की जायेगी।

53. हमारे ग्रामीण अंचलों में चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यक्रमों की ए.एन.एम. एक मज़बूत कड़ी है। स्वास्थ्य कार्यक्रमों की पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से चालू वर्ष में 5 हजार ए.एन.एम. के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति दी जायेगी।

54. सभी जिला अस्पतालों में 10 करोड़ रुपये की लागत से आपातकालीन जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे।

55. चालू वर्ष में 9 जिलों में **ICU**, 18 जिलों में ट्रोमा यूनिट्स, 18 जिलों में पुनर्वास केंद्र एवं 24 जिला मुख्यालयों पर बर्न यूनिट प्रारंभ करने की योजना है। इन सभी यूनिट्स हेतु निर्माण कार्य एवं उपकरणों इत्यादि पर 46 करोड़ 94 लाख रुपये की लागत आयेगी तथा यह **'राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट प्रोजेक्ट'** के अंतर्गत वहन की जायेगी।

56. राष्ट्रीय राजमार्गों (नेशनल हाईवे) पर स्थित अस्पतालों में विशेषज्ञों के 20 पद स्वीकृत कर भर्ती की जायेगी।

57. जिला अस्पताल अलवर में बी.एस.सी. एवं एम.एस.सी. नर्सिंग तथा भीलवाड़ा जिला चिकित्सालय में बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज स्ववित्तपोषित आधार पर खोले जायेंगे।

58. राज्य में वर्तमान में **'108 एम्बूलेंस सेवा'** बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। चालू वर्ष में 150 अतिरिक्त एम्बूलेंस वाहन क्रय किये जायेंगे,

जिन पर राज्यांश के रूप में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। सांसद एवं विधानसभा सदस्य अपने कोष से एवं अन्य दानदाता यदि 15 लाख रुपये की राशि एम्बूलेंस हेतु उपलब्ध कराते हैं तो **'108 एम्बूलेंस सेवा'** क्षेत्र विशेष में भी तत्काल शुरू की जा सकेगी।

59. काँवटिया तथा जयपुरिया अस्पताल, जयपुर एवं पावटा अस्पताल, जोधपुर को जिला स्तर के अस्पतालों में क्रमोन्नत कर इनमें ट्रोमा एवं आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध कराई जायेंगी।

60. मेवात एवं डांग क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने के लिए शैय्याओं की संख्या, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तिजारा में 30 से 50, भिवाड़ी में 40 से 50 एवं हिण्डौन सिटी में 75 से 100 की जायेगी।

61. चालू वित्तीय वर्ष में 15 आयुर्वेद, 5 होम्योपैथी तथा 10 यूनानी के नये औषधालय खोले जायेंगे। इसके अतिरिक्त 6 आयुर्वेद, 2 होम्योपैथी एवं 2 यूनानी औषधालयों को क्रमोन्नत किया जायेगा।

62. जयपुर में एक **'आयुष भवन'** का निर्माण कराया जायेगा, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी के कार्यालय संचालित किये जायेंगे।

63. राज्य में स्थापित आयुर्वेद एवं यूनानी औषधालयों में फर्नीचर एवं अन्य साज–सामानों की कमी के कारण मरीजों की जाँच इत्यादि में परेशानी आती है। अतः चालू वर्ष में राज्य के 200 आयुर्वेद और यूनानी औषधालयों के लिए 2 करोड़ रुपये की लागत से फर्नीचर एवं अन्य आवश्यक साज–सामान की व्यवस्था की जायेगी।

64. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर में 22 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से आयुर्वेद चिकित्सालय, कॉलेज एवं छात्रावास का निर्माण करवाया जायेगा।

चिकित्सा शिक्षा :

65. राज्य में सरकारी क्षेत्र में हृदय रोग की चिकित्सा हेतु अलग से संस्थान नहीं है, जिसके कारण आम नागरिकों, विशेषकर बीपीएल लोगों को, असुविधा का सामना करना पड़ता है। अतः हमनें नवनिर्मित **'मानस आरोग्य संस्थान'**, मानसरोवर, जयपुर में हॉर्ट इन्स्टीट्यूट की स्थापना करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए चालू वर्ष में 16 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

66. एस. एम. एस. चिकित्सालय के अधीन, एक ही स्थान पर, आर्थोपेडिक, ट्रोमा एवं रोग निदान यूनिट स्थापित करना प्रस्तावित है। इस केंद्र में अत्याधुनिक ट्रोमा सेन्टर व हड्डियों की विभिन्न बीमारियों जैसे नी–रिप्लेसमेन्ट व आर्थोस्कोपी की सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी। चालू वर्ष में इसके लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

67. एस. एम. एस. मेडिकल कॉलेज में शोध कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए स्टेमसैल प्रयोगशाला हेतु उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे, जिस पर 1 करोड़ 61 लाख रुपये की लागत आयेगी। इसके अलावा नवनिर्मित 12 ऑपरेशन थियेटर्स को चालू करने के लिए इस वर्ष 5 करोड़ 39 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

68. गणगौरी बाजार, जयपुर के नये चिकित्सालय को एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज से संबद्ध किया जायेगा एवं इसमें मेडिसन,

सर्जरी व प्रसूती रोग एवं ऑर्थोपिडिक्स की 2–2 इकाइयां तथा शिशु रोग, ईएनटी और नेत्र रोग की 1–1 इकाई स्थापित की जायेगी।

69. पी.बी.एम. चिकित्सालय, बीकानेर में कार्डियोलोजी एवं कार्डियोथोरेसिक केंद्र के लिए चालू वर्ष में 2 करोड़ 9 लाख रुपये के उपकरण क्रय किये जायेंगे।

70. वर्तमान में राज्य में राजकीय फिज़ियोथैरेपी महाविद्यालय संचालित नहीं है। अतः वर्ष 2010–11 के सत्र से मेडिकल कॉलेज, जोधपुर के अंतर्गत स्ववित्तपोषित आधार पर फिज़ियोथैरेपी महाविद्यालय शुरू करना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त इस चिकित्सालय में बाई–पास सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी, जिसकी 4 करोड़ रुपये की लागत अनुमानित है।

71. मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर में जनाना एवं शिशु विभाग को चरणबद्ध रूप से स्थापित किया जायेगा। इसकी कुल लागत 29 करोड़ 49 लाख रुपये आयेगी।

72. जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में लेप्रोस्कोपी थियेटर, प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न यूनिट तथा सेंट्रल गैस सिस्टम की स्थापना के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपये ख़र्च किये जायेंगे।

73. चिकित्सा महाविद्यालय कोटा के परिसर में नवनिर्मित चिकित्सालय में उपकरणों की व्यवस्था के लिए इस वर्ष 2 करोड़ 75 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

74. उदयपुर के राजकीय पन्नाधाय महिला चिकित्सालय में 50 शैय्याओं की वृद्धि की जायेगी, जिस हेतु 1 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत संचालित नर्सरी में 30 शैय्याओं की वृद्धि पर 3 करोड़ रुपये ख़र्च किये जायेंगे।

75. सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के पी.जी. कोर्सेज में 197 सीटों की बढ़ोतरी का प्रस्ताव स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिताः

76. महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति में वृद्धि की जायेगी। कक्षा 6 से 8 तक की छात्राओं को 20 रुपये के स्थान पर 75 रुपये एवं कक्षा 9 से 10 तक की छात्राओं को 40 रुपये के स्थान पर 100 रुपये की छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव है। इस हेतु 17 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित है।

77. समस्त राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों एवं मूक–बधिर, नेत्रहीन एवं विमंदितों हेतु संचालित विशेष विद्यालयों के छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों का मैस भत्ता 725 रुपये से बढ़ाकर 1 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है।

78. राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त एवं घूमंतु जातियों के छात्र–छात्राओं के लिए

602 राजकीय छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। किराये के भवनों में संचालित 99 छात्रावासों के लिए नाबार्ड एवं बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के माध्यम से 90 करोड़ रुपये की लागत से नवीन छात्रावास भवनों का निर्माण कराना प्रस्तावित है।

79. महाविद्यालयों में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं हेतु सभी जिला मुख्यालयों पर छात्रावास स्थापित करने की योजना है। वर्तमान में 26 जिलों में छात्रावास नहीं हैं। इनमें से प्रथम चरण में 13 जिलों में **'बाबू जगजीवन राम योजना'** के अंतर्गत भारत सरकार के सहयोग से छात्राओं के लिए छात्रावासों का निर्माण करवाया जायेगा। प्रति छात्रावास निर्माण लागत एक करोड़ रुपये है।

80. राजकीय रिमांड–गृहों एवं किशोर–गृहों हेतु 26 जिलों में भवन निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में चालू वित्तीय वर्ष में 13 भवनों के निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

81. गाड़िया–लुहार परिवारों को आवास निर्माण हेतु देय सहायता राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 35 हजार रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

82. आबकारी राजस्व की एक प्रतिशत राशि जो लगभग 23 करोड़ रुपये है, अवैध शराब के धन्धों में लिप्त परिवारों के पुनर्वास हेतु ख़र्च की जायेगी।

83. हमारे वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु **'वरिष्ठ नागरिक बोर्ड'** का गठन किया जायेगा।

84. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों पर होने वाले अत्याचारों के प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही के लिए एक हैल्प लाईन की स्थापना की जायेगी।

अल्प संख्यक कल्याण :

85. अल्प संख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी, उनकी समस्याओं व शिकायतों के निदान हेतु केंद्र सरकार की तर्ज पर **'अल्प संख्यक मामलात'** के लिए एक अलग विभाग के गठन की मैं घोषणा करता हूँ। राज्य सरकार द्वारा **'वक़्फ़ विकास परिषद'** का भी गठन किया जायेगा, जिसके कॉरपस के लिए एक करोड़ रुपये का अंशदान दिया जायेगा।

86. राज्य के अल्प संख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा अल्प संख्यक समुदाय के व्यक्तियों को विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए दिये जा रहे ऋणों पर राज्य सरकार द्वारा 2 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जायेगा। वर्तमान में निगम द्वारा 3 से 6 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसकी प्रभावी दर इस अनुदान से और कम हो जायेगी।

जनजाति विकास :

87. अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिये जनजाति उपयोजना क्षेत्र (टीएसपी) में क्रियान्वित योजनाओं हेतु महाराष्ट्र पैटर्न के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

88. आदिवासी कल्याण अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वनों में निवास करने वाले जनजाति के परिवारों को चालू वर्ष में

ही अभियान चलाकर अधिकार पत्र जारी किए जायेंगे। उल्लेखनीय है कि यह प्रकरण कई वर्षों से लंबित चल रहा है।

89. जनजाति उपयोजना क्षेत्र के बांसवाड़ा जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है, जिसके लिए इस वर्ष 6 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जाने प्रस्तावित हैं।

90. जनजाति विकास हेतु उपयोजना क्षेत्र के अतिरिक्त छितरी हुई आबादी में रहने वाले आदिवासियों के लिये भी विशेष योजनायें लागू की जायेंगी। इसके अंतर्गत जोधपुर में 2 करोड़ रुपये की लागत से कन्या छात्रावास की स्थापना की जायेगी।

91. प्रदेश के 247 आश्रम छात्रावासों में एक वाचनालय का निर्माण कराना प्रस्तावित है। इसमें पुस्तकालय तथा दो कम्प्यूटर भी उपलब्ध करवाये जायेंगे। वाचनालय, पुस्तकालय स्थापना एवं कम्प्यूटर के लिए 13 करोड़ 58 लाख 50 हजार रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा सर्टिफिकेट कोर्सेज चलाने हेतु 1 करोड़ 10 लाख रुपये ख़र्च किये जायेंगे।

92. चालू वित्तीय वर्ष में जनजाति उपयोजना क्षेत्र की तीन पंचायत समितियों सागवाड़ा, तलवाड़ा एवं घाटोल में 3 करोड़ 6 लाख रुपये की लागत से बालिका छात्रावासों का निर्माण किया जायेगा।

93. अनुसूचित जनजाति छात्रावास, आश्रम छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों में रह रहे छात्रों का मैस भत्ता बढ़ाकर 1 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया है।

महिला एवं बाल विकास :

94. महिलाओं से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करने के लिए हमनें जेंडर रेस्पोन्सिव बजट बनाने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विभाग के बजट का जेंडर आधारित विश्लेषण संभव हो सकेगा। इस हेतु एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जायेगी। इसके अतिरिक्त महिलाओं के संरक्षण, विकास एवं सशक्तीकरण की दृष्टि से महिला अधिकारिता विभाग में एक विशेष **'जेंडर सैल'** की स्थापना की जा रही है।

95. महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने एवं उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए सात सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया जायेगा, जिसमें :–

(i) सुरक्षित मातृत्व,

(ii) शिशु मृत्यु दर में कमी लाना,

(iii) जनसंख्या स्थिरीकरण,

(iv) बाल विवाहों की रोकथाम,

(v) लड़कियों का कम से कम कक्षा 10 तक ठहराव,

(vi) महिलाओं को सुरक्षा तथा सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, एवं

(vii) स्वंय सहायता समूह कार्यक्रम के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्रदान करते हुए आर्थिक सशक्तीकरण शामिल हैं।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर प्रकोष्ठ बनाकर इस कार्यक्रम की मोनिटरिंग की जायेगी।

96. स्वयंसहायता समूह के अंतर्गत ग़रीब महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने के लिए अमृता सोसायटी के माध्यम से

आजीविका प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित है। चालू वर्ष में इस हेतु 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले महिला स्वंय सहायता समूहों एवं स्वयंसेवी संगठनों के लिए एक पुरस्कार योजना भी प्रारंभ की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में 10 स्वयंसहायता समूहों की पहचान कर उन्हें **प्रियदर्शनी आदर्श स्वयंसहायता समूह** घोषित किया जायेगा एवं प्रत्येक समूह को 25 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया जायेगा।

97. विधवा एवं तलाकशुदा / परित्यक्ता महिलाओं को विभिन्न व्यवसायों हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा।

98. राज्य सरकार द्वारा चालू वर्ष में 380 आंगनबाड़ी केंद्रों के नवीन भवनों का नाबार्ड के सहयोग से निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है, जिनकी अनुमानित लागत 12 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त 26 नये बाल विकास परियोजना ब्लॉक्स प्रारंभ किये जायेंगे तथा 6 हजार 543 आंगनबाड़ी केंद्र एवं 3 हजार 523 नये मिनी आंगनबाड़ी सेंटर स्थापित किये जायेंगे। इन केंद्रों पर लगभग 16 हजार 600 कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जायेगी।

99. राज्य में कार्यरत लगभग एक लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में क्रमशः 200 रुपये एवं 100 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि करने की, मैं घोषणा करता हूँ। इस पर 35 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ख़र्च आयेगा।

100. आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को स्कूल शिक्षा से जोड़ने के लिए प्राथमिक विद्यालयों में एक अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध करवाया जायेगा।

101. हमनें बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए **'बाल अधिकार (संरक्षण) आयोग'** का गठन किया है। इससे राज्य में बाल श्रमिकों की समस्याओं का निदान भी संभव हो पायेगा।

वन :

102. हमारे प्रदेश का बड़ा भू–भाग रेगिस्तानी है तथा वर्षा की कमी एक स्थायी समस्या है। हमनें राज्य की एक नई **'वन नीति'** बनाने का निश्चय किया है। यदि प्रदेश में वृक्षारोपण को एक जन आंदोलन के रूप में बड़े पैमाने पर लागू किया जाये तो प्रदेश के पर्यावरण में एक मौलिक परिवर्तन लाया जा सकता है। इसी सोच से प्रेरित होकर हमनें अभी हाल ही में **'हरित राजस्थान योजना'** लागू की है, जो इस दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। मैं हमारे सभी राजनैतिक दलों, सरकारी एवं गैर–सरकारी संगठनों, चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों, नागरिकों एवं सभी माननीय सदस्यों का आह्वान करता हूँ कि, वे इस कार्यक्रम में पूरी लगन, उत्साह और समर्पण के साथ शामिल हों।

103. वन क्षेत्रों को पुनः हरा–भरा करने के लिए एक **'विज़न डॉक्यूमेन्ट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फोरेस्ट्स'** तैयार किया जायेगा। आगामी पाँच वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 2 लाख 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जायेगा, जिसमें से वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के माध्यम से एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जायेगा। इसी तरह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नरेगा आदि कार्यक्रमों में चारागाह विकास के कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जायेगा। **'हरित राजस्थान'** योजना के लिए 'नरेगा' के अंतर्गत पौधों की आपूर्ति

सुनिश्चित करने के उद्देश्य से काश्तकारों, स्वयंसहायता समूहों एवं गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से क्रय करने की गारंटी **(buy back guarantee)** के साथ राज्य भर में विकेंद्रित पौधशालाएं विकसित कराई जायेंगी।

104. सामाजिक वानिकी के अंतर्गत टिंबर, फल तथा औषधि के वृक्षों को लगाने के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चालू वर्ष में 45 लाख पौधे तैयार किये जायेंगे।

105. वन क्षेत्रों में निवास करने वाले 1 हजार युवकों को मानदेय पर **'वनमित्र'** के रूप में लगाया जायेगा, जिससे ग्रामीण युवकों में पर्यावरण, वन्य जीव एवं वन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

106. राज्य में स्थित अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अभ्यारण्यों के आस–पास के क्षेत्रों के विकास हेतु **'ईको–ट्यूरिज्म की नीति'** निर्धारित की जायेगी, जिससे पर्यटन, होटल, इन्डस्ट्रीज़ एवं व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे।

107. नाबार्ड के सहयोग से, सवाई मानसिंह, रणथम्भौर, केवलादेव एवं सरिस्का वन्यजीव क्षेत्रों में आगामी तीन वर्षों में 42 करोड़ 54 लाख रुपये की लागत के जल स्रोतों के विकास के कार्य करवाये जायेंगे।

108. राज्य सरकार लुप्त प्रायः पौधों की प्रजातियों के संरक्षण एवं विकास को प्राथमिकता देगी। **'गूगल'** एक ऐसा महत्त्वपूर्ण औषधीय पौधा है, जो प्रमुख रूप से रेगिस्तानी इलाकों में पैदा होता था और कालांतर में

समाप्त होने लगा है। इसके संरक्षण के लिए जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर इत्यादि में **'नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड'** की सहायता से 7 करोड़ रुपये की परियोजना लागू की जायेगी।

109. सरिस्का एवं रणथम्भौर बाघ रिज़र्व क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु केंद्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत एक विशिष्ठ **'बाघ संरक्षण बल'** का गठन किया जायेगा। इस बल के गठन से बाघों की सुरक्षा हेतु प्रशिक्षित युवा शक्ति उपलब्ध होगी, जिससे प्रदेश में बाघ संरक्षण का कार्य प्रभावी रूप से किया जा सकेगा। इस पर 3 करोड़ 72 लाख रुपये प्रतिवर्ष की लागत आयेगी।

110. जोधपुर में माचिया क्षेत्र को 'सेन्ट्रल जू–ऑथोरिटी' के मापदंडों के अनुसार **'बॉयोलॉजिकल पार्क'** के रूप में विकसित करने के लिए परियोजना तैयार की जायेगी।

पर्यावरण :

111. पर्यावरण संबंधी प्रकरणों के पर्यवेक्षण तथा विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से **'राजस्थान पर्यावरण मिशन'** की स्थापना की जायेगी। यह मिशन जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग एवं राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर इनके पड़ने वाले प्रभाव के विषय में विचार कर राज्य के लिए कार्ययोजना सुझायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य **'पर्यावरण नीति'** भी जारी की जायेगी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज :

112. यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम लागू कर स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है।

इस योजना के लागू होने से ग़रीब व्यक्ति को स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार प्राप्त हुआ है। हमारे राज्य के लिए, जहां वर्षा की कमी के कारण लोगों को पर्याप्त रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं होते, यह अधिनियम एक वरदान है।

113. **'नरेगा'** के अंतर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग कच्चे कार्यों के स्थान पर स्थाई परिसंपत्तियों के निर्माण में करने के प्रयास किये जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ–साथ राज्य के ढांचागत विकास एवं जल संसाधनों के प्रबंधन में यह योजना प्रभावी रहेगी। साथ ही इस योजना को पर्यावरण सुधार एवं **'हरित राजस्थान'** कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है।

114. **'नरेगा'** के क्रियान्वयन एवं प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए प्रशासनिक ढाँचे को मज़बूत किया जाना आवश्यक है। इस दृष्टि से जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं पंचायतों में 11 हजार 315 नवीन पदों का सृजन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 9 हजार 184 कम्प्यूटर–मय–ऑपरेटर राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराये जायेंगे। इस योजना की समीक्षा के लिए सामाजिक अंकेक्षण के साथ–साथ आंतरिक अंकेक्षण भी प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा ताकि इस योजना में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की आशंका नहीं रहे।

115. राज्य में बंजर भूमि को विकसित करने एवं इससे रोजगार सृजित करने के लिए **'बंजर भूमि विकास बोर्ड'** की स्थापना की

जायेगी। शहरों के मास्टर प्लान की तर्ज पर गाँवों की भूमि का भी सर्वोत्तम उपयोग करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

116. वर्तमान में जिला प्रमुख, प्रधान एवं सरपंचों के क्रमशः 4 हजार रुपये, 2 हजार 600 रुपये एवं 600 रुपये के मानदेय को बढ़ाकर क्रमशः 5 हजार 100 रुपये, 3 हजार 100 रुपये एवं 1 हजार रुपये किया जायेगा। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के बैठक भत्ते की वर्तमान दरों में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जायेगी।

117. **'इन्टरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डवलपमेंट'** के सहयोग से स्वरोजगार के अवसर सृजित करने की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान में ग़रीबी उन्मूलन की एक योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत 87 हजार बीपीएल परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक पोषित **'राजस्थान रूरल लाईवलीहुड प्रोजेक्ट'** भी लागू किया जायेगा, जिसके अंतर्गत 4 लाख बीपीएल परिवारों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

118. पंचायतीराज संस्थाओं को भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से सुविधाजनक बनाने के लिए ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के पुनर्सीमांकन एवं पुनर्गठन पर विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

कृषि :

119. कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए वर्ष 2008–09 में 1 हजार 630 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसे बढ़ाकर इस बजट में

1 हजार 977 करोड़ रुपये किया जा रहा है, जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है।

120. हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विद्युत दरों में कृषकों के लिए आगामी 5 वर्षों तक कोई बढ़ोतरी नहीं की जायेगी।

121. आपको याद होगा कि भारत सरकार ने पूरे देश में काश्तकारों के लिए ऋण माफी की घोषणा की थी। इस घोषणा के अंतर्गत राज्य के 17 लाख से अधिक ग़रीब किसानों को लाभ मिला है।

122. राज्य में **'किसान आयोग'** का गठन किया जा चुका है एवं यह आयोग शीघ्र ही अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगा।

123. कृषि उत्पादों का किसानों को वाजिब मूल्य मिले, इस दृष्टि से एक **'कृषि व्यवसाय एवं उद्योग नीति'** बनाई जायेगी। इस नीति के अंतर्गत विभिन्न उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिए कृषि व्यवसाय एवं उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा। राज्य में इस नीति के लागू होने से रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे एवं काश्तकारों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा।

124. फसलों पर अधिक तापमान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, शीतलहर एवं पाला पड़ने से उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। किसानों को इस विपरीत प्रभाव से राहत दिलाने के उद्देश्य से वर्तमान में लागू फसल बीमा योजना के स्थान पर फिलहाल 7 जिलों, बारां, बूँदी, दौसा, झालावाड़, करौली, कोटा और सवाई माधोपुर में मौसम आधारित बीमा योजना को लागू किया जायेगा। राज्य में फसलों को शीतलहर और

पाले से भारी नुकसान होता है, इससे किसानों को राहत प्रदान करने के लिए शीतलहर और पाले को प्राकृतिक आपदाओं में शामिल कराने का प्रयास किया जा रहा है। गत् दिनों में जब वित्त आयोग ने राज्य का दौरा किया था तब उनके सम्मुख भी हमनें इस समस्या को रखा था।

125. स्पाईस बोर्ड के सहयोग से जोधपुर में एक स्पाईस पार्क खोला जायेगा। इससे जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही एवं पाली जिले के किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य पर बिक्री का अवसर प्राप्त होगा।

126. नेशनल हॉर्टीकल्चर मिशन के अंतर्गत आगामी 3 वर्षों में उद्यानिकी कृषकों की संख्या दुगनी की जायेगी।

127. आँवला, ईसबगोल एवं संतरा इत्यादि फलों की फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रति इकाई 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम एक करोड़ रुपये तक का अनुदान देय होगा। यह अनुदान राज्य सरकार व राजस्थान राज्य विपणन बोर्ड द्वारा बराबर वहन किया जायेगा।

128. चालू वर्ष में भीलवाड़ा, जोधपुर, सीकर, अलवर, उदयपुर एवं सुमेरपुर (पाली) में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जायेगी, जिन पर 14 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

129. खाद की उपलब्धता बनाये रखने के लिए हमनें राजफैड को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश जारी कर दिये हैं।

पशुपालन :

130. प्रदेश के पशुधन के विकास को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा हाल ही में **'भेड़ एवं बकरी पशु प्रजनन नीति'** जारी की गई है। पशुधन के संपूर्ण विकास हेतु राज्य में पहली बार **'पशुधन विकास नीति'** बनाई जायेगी एवं नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु **'पशुधन मिशन'** को सक्रिय किया जायेगा।

131. पशुधन विकास के लिए चालू वर्ष में टिश्यू कल्चर वैक्सीन के परिवहन, भंडारण एवं वितरण हेतु 2 करोड़ 7 लाख रुपये की लागत से कोल्ड चेन स्थापित की जायेगी।

132. **'पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार'** योजना प्रारंभ की जायेगी। इस योजना के अंतर्गत, मोबाईल इकाइयों के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में हर माह एक पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किया जायेगा। इस हेतु 3 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

133. बीकानेर में राज्य के पहले **'पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय'** की स्थापना करने की मैं घोषणा करता हूँ।

सहकारिता :

134. उचित मूल्य की दुकानों के संचालन एवं उर्वरकों की बिक्री का कार्य महिला सहकारी समितियों के माध्यम से करवाने के लिए, इन समितियों को प्रबंधकीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। चालू वर्ष में ऐसी 500 महिला सहकारी समितियों को 5 करोड़ रुपये की सहायता

राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी। इसी प्रकार जनजाति क्षेत्रों के **LAMPS** को उचित मूल्य की दुकानों एवं उर्वरक बिक्री का कार्य संपादित करने हेतु 2 करोड़ रुपये की प्रबंधकीय सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी। इसके अतिरिक्त राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से 6 करोड़ रुपये का एक स्टेट रिवाल्विंग फंड गठित किया जायेगा, जिसमें से इन समितियों को 2 प्रतिशत ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी हेतु ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।

135. सहकारी आंदोलन को गति प्रदान करने के उद्देश्य से बाड़मेर, डूंगरपुर, कोटा, बीकानेर एवं भरतपुर में 78 करोड़ 13 लाख रुपये की लागत से समग्र सहकारी विकास योजना क्रियान्वित की जायेगी। चालू वर्ष में इस योजना में 19 करोड़ 49 लाख रुपये ख़र्च किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सहकारी बैंकों की 300 शाखाओं का कम्प्यूटराईजेशन किया जायेगा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति :

136. केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अधिनियम प्रस्तावित किया है। पूर्व से ही हमारा संकल्प है कि प्रदेश में कोई भूखा नहीं सोये। इस अधिनियम से हमारे संकल्प को संबल मिलेगा। हम केंद्र सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का स्वागत करते हैं।

137. राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था को प्रभावी एवं सुदृढ़ करना आवश्यक है ताकि ग़रीब एवं बी.पी.एल. परिवारों को मिलने वाली सुविधायें सुनिश्चित की जा सकें। इस व्यवस्था को सुदृढ़

करने के लिए मैं माननीय सदस्यों से भी सुझाव आमंत्रित करता हूँ। हम किसी भी कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध वस्तुओं की कालाबाज़ारी नहीं होने देंगे। इसी क्रम में जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए **'शुद्ध के लिए युद्ध',** एक अभियान के रूप में प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम को लगातार चलाया जायेगा।

138. किशनगंज एवं शाहाबाद के सहरिया एवं उदयपुर जिले के कथौड़ी जनजाति के प्रत्येक परिवार को 25 किलोग्राम प्रति परिवार खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा, जिस पर लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत आयेगी।

श्रम एवं रोजगार :

139. युवाओं का राज्य के विकास में सक्रिय योगदान प्राप्त करने की दृष्टि से इनमें कौशल विकसित करना आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राजस्थान आजीविका मिशन को पुनर्गठित करते हुए अब **'राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन'** में परिवर्तित किया जा रहा है। यह मिशन प्रतिवर्ष एक लाख युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित करेगा। चालू वर्ष में इस मिशन के कार्यों के लिए 22 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

140. राज्य में सुरक्षा शिक्षा हेतु **Rajasthan Institute for Security Education** की निजी क्षेत्र के सहयोग से स्थापना की जायेगी। इस **Institute** के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के युवाओं को 3 माह का प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि वे निजी क्षेत्र में सुरक्षा प्रहरी के रूप में कार्य कर सकें। इसके अतिरिक्त संभागीय मुख्यालयों पर जन सहभागिता

के आधार पर निर्माण अकादमियां **(Construction Academies)** स्थापित की जायेंगी। इन अकादमियों के द्वारा कुशल निर्माण श्रमिक तैयार किये जायेंगे।

141. राज्य में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जो एक चिंता का विषय है। इन दुर्घटनाओं का एक कारण वाहन चालकों का प्रशिक्षित नहीं होना है। हमारी मंशा है कि, प्रत्येक जिले में प्रोफेशनल ड्राईविंग स्कूल होने चाहिये। प्रथम चरण में जनसहभागिता के आधार पर सभी संभागीय मुख्यालयों पर ड्राईविंग स्कूलों की स्थापना की जायेगी।

142. राज्य के बहुत से श्रमिक रोजगार के लिए विदेशों में जाते हैं। विदेशों में इन श्रमिकों को होने वाली कठिनाइयों का निराकरण करने की दृष्टि से राज्य में **'ओवरसीज़ प्लेसमेंट ब्यूरो'** की स्थापना की जायेगी।

शिक्षा :

143. मैं यह चाहता हूँ कि राज्य का कोई भी बालक–बालिका अशिक्षित नहीं रहे। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए एक कानून लाया जा रहा है।

144. राज्य की 1 हजार 900 ग्राम पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय नहीं है। अतः मैं घोषणा करता हूँ कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

145. इसके साथ ही चालू वर्ष में 500 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोले जायेंगे।

146. माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि राज्य के दूर–दराज के इलाकों में शिक्षकों की कमी है। समानीकरण की व्यवस्था लागू करने से कुछ सीमा तक इस कमी की पूर्ति की जा सकती है। समानीकरण के पश्चात्, शिक्षकों के सभी रिक्त पदों को कार्यक्रम बनाकर चरणबद्ध रूप से भरा जायेगा। शिक्षक एक बड़ा वर्ग है, जिसमें प्रत्येक वर्ष लगभग 10 हजार शिक्षकों के पद सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त होते हैं। राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले पदों पर भी, साथ ही साथ भर्ती प्रारंभ की जायेगी।

147. सर्व शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न श्रेणी के 17 हजार 229 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है।

148. शारीरिक शिक्षकों के 1 हजार रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ कर इन पदों को भर दिया जायेगा।

149. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इस वर्ष राज्य के 2 हजार माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारंभ की जायेगी। इससे राज्य के 4 हजार 500 विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, जिस पर 55 करोड़ रुपये ख़र्च होना अनुमानित है।

150. राजस्थान मदरसा बोर्ड के पंजीकृत मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मदरसों को उच्च प्राथमिक स्तर तक की मान्यता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी।

151. मदरसों हेतु 2 हजार 500 सामान्य शिक्षा सहयोगियों की संविदा के आधार पर नियुक्ति की जायेगी। इसके अतिरिक्त राजकीय विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों के समस्त रिक्त पदों को शीघ्र भरा जायेगा।

152. भारत सरकार की योजना के अंतर्गत राज्य के अल्प संख्यक समुदाय के लगभग 19 हजार बच्चों को प्री–मेट्रिक स्कॉलरशिप दी जा रही है, जिसे अब बढ़ाकर 66 हजार कर दिया गया है।

153. राज्य में महिला साक्षरता की दर, राष्ट्रीय औसत दर से काफी कम है। प्रत्येक महिला को साक्षर बनाना हमारा संकल्प है। अतः हम **'राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन'** की घोषणा का स्वागत करते हैं तथा इसी के अनुरूप राज्य में अगले पाँच वर्षों में प्रत्येक महिला को साक्षर बनाने का कार्यक्रम तैयार किया जायेगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी :

154. राज्य में विशेषकर विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस वर्ष विभाग का बजट 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये किया जा रहा है। इसमें से 2 करोड़ 50 लाख रुपये अनटाईड ग्रांट के रूप में नवाचार के लिए उपलब्ध होंगे।

155. जयपुर में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान चालू वर्ष में प्रस्तावित है।

उच्च शिक्षा :

156. राजकीय एवं निजी संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं इनके प्रबंधन में पारदर्शिता एवं कुशलता लाने के उद्देश्य से सरकार शीघ्र ही एक **'उच्च शिक्षा सुधार आयोग'** गठित करेगी।

157. जोधपुर में **'नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलोजी'** स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसके लिये राज्य सरकार आवश्यक भूमि और राशि उपलब्ध करायेगी।

158. राज्य के उपखंड मुख्यालयों पर स्थापित सभी महाविद्यालयों में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय प्रारंभ करने की योजना है। चालू वर्ष में 11 उप–खंडों में विज्ञान संकाय तथा 3 उपखंडों में वाणिज्य संकाय प्रारंभ किये जायेंगे, जिन पर लगभग 2 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ख़र्चा होगा।

159. प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों में निजी क्षेत्र की भागीदारी से **'युवा विकास केन्द्रों'** की स्थापना कर कैरियर काऊंसलिंग कार्यक्रम प्रारंभ किये जायेंगे, जिस पर 1 करोड़ 26 लाख रुपये की लागत आयेगी।

160. राजकीय महाविद्यालयों में खेलों एवं शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पड़े सभी 72 पदों को भरना प्रस्तावित है।

तकनीकी शिक्षा :

161. तकनीकी शिक्षा एवं अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे एम.बी.ए. इत्यादि के स्तर में सुधार लाने तथा इनके संस्थानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। इस हेतु शीघ्र ही **'तकनीकी शिक्षा अधिनियम'** लाया जायेगा।

162. राज्य के 10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विश्व बैंक पोषित **'वोकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट'**, लागू किया जायेगा, जिससे इन संस्थानों में गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण देना संभव हो सकेगा।

163. राज्य में **Rajasthan Council of Vocational Education and Training** की स्थापना की जायेगी। इस **Council** के गठन से तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार हो सकेगा।

164. प्रत्येक संभागीय स्तर पर एक महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय होना चाहिए। अतः भरतपुर में महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय स्थापित करने के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

165. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में **Skill Mission** के अंतर्गत 15 जिले चिन्हित किये गये हैं, जहाँ राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय स्थापित नहीं है। राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में प्रतापगढ़, बारां, धौलपुर, डूंगरपुर तथा जैसलमेर में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिए 6 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

सूचना प्रौद्योगिकी :

166. राज्य की आई.टी. पॉलिसी में यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक विभाग अपने योजनागत बजट का 3 प्रतिशत भाग विभाग में आई.टी. के प्रयोग एवं कम्प्यूटराईजेशन पर ख़र्च करेगा ताकि जनता को सही मायने में ई–गवर्नेंस का लाभ मिल सके। अभी तक यह व्यवस्था प्रभावी नहीं हुई है। अतः सभी संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर इस नीति की पालना करने के लिए निर्देश दिये जा रहे हैं।

167. प्रदेश से संबंधित सभी विषयों पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नॉलेज बैंक बनाने का निश्चय किया गया है। इस हेतु राज्य में एक आधुनिक स्टेट डॉटा सेंटर स्थापित किया जायेगा, जिस पर लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

168. नागरिकों को सरकारी सेवाएं और सूचनायें ई–मित्र योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में प्रदान की जा रही हैं। चालू वित्तीय वर्ष में

भारत सरकार के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में भी 6 हजार 626 **'कॉमन सर्विस सेन्टर्स'** स्थापित किये जायेंगे, जिनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को शहरों के समान ही सेवायें सुलभ हो सकेंगी।

169. प्रदेश में जमाबंदी का शत–प्रतिशत कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। अब इसको भूमि के पंजीकरण से जोड़ा जाना प्रस्तावित है ताकि किसानों एवं अन्य व्यक्तियों को सुविधा मिल सकेगी।

170. एस एम एस चिकित्सालय, जयपुर में प्रारंभ किये गये आरोग्य ऑनलाइन को अन्य राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रारंभ किया जायेगा।

उद्योग :

171. रोजगार के नये अवसरों का सृजन करने एवं आर्थिक तथा सामाजिक आधारभूत ढ़ाँचे में निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य से, मैं यह घोषणा करता हूँ कि, हम शीघ्र ही एक नई **'उद्योग एवं निवेश नीति'** बनायेंगे ताकि राज्य में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बन सके।

172. नई नीति के अंतर्गत विशेष औद्योगिक क्षेत्रों का चिन्हीकरण करने, रूग्ण इकाइयों को पुनः कार्यशील बनाने एवं नये **'स्पेशल इकोनोमिक ज़ोन'** स्थापित करने पर बल दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जनजाति बाहुल्य जिलों जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं सिरोही में नये उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया जा रहा है।

173. राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए **'संयुक्त सलाहकार समिति'** का गठन करने का निर्णय लिया गया है ताकि उद्यमियों की सलाह और सहयोग से उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके।

174. **'एकल खिड़की' (Single Window System)** व्यवस्था की परिकल्पना इस सोच के साथ लागू की गई थी कि किसी भी निवेशक को अलग–अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। किंतु यह व्यवस्था अब तक उस रूप में लागू नहीं हो सकी। अतः इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए एक अधिनियम लाने का निश्चय किया गया है।

175. प्रदेश के दस्तकारों, हस्तशिल्पियों एवं कारीगरों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन हेतु चालू वर्ष में दो नये नगरीय हाट बाजार सीकर एवं अलवर में स्थापित किये जायेंगे।

176. नमक उत्पादन में कार्यरत मज़दूरों के कल्याण के लिए एक विशेष योजना प्रारंभ की जायेगी एवं इन मज़दूरों को आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराई जायेगी। इसके अतिरिक्त फलौदी एवं नावा लवण क्षेत्रों में दो नई सड़कों का निर्माण भी कराया जायेगा। इन कार्यों पर लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत अनुमानित है।

177. कृषि के साथ–साथ गैर–कृषि क्षेत्रों में दक्षता विकास एवं उन्नयन आवश्यक है ताकि गैर–कृषि क्षेत्रों में भी रोजगार के नये अवसर उपलब्ध हो सकें। इस दृष्टि से राजस्थान आजीविका मिशन एवं **'रूरल नॉन फॉर्म डवलपमेंट एजेन्सी'** (RUDA) के माध्यम से प्रशिक्षण की

व्यवस्था की जायेगी, जिस पर चालू वर्ष में 1 करोड़ रुपये का ख़र्च होना अनुमानित है।

178. राज्य के लघु उद्योगों में कौशल उन्नयन, डिज़ाइन एवं तकनीकी विकास, मार्केटिंग सुविधा आदि के लिए विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित क्लस्टर्स के विकास के लिए चालू वर्ष में 4 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

179. राजस्थान वित्त निगम **(RFC)** को सिडबी के सहयोग से सुदृढ़ करने का निश्चय किया गया है एवं सिडबी और राज्य सरकार के लोन को इक्विटी में परिवर्तित करने हेतु सहमति दी गई है। साथ ही निगम की अधिकृत अंश पूँजी 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये की जा रही है। इन उपायों से राजस्थान वित्त निगम **(RFC)** द्वारा ज्यादा से ज्यादा उद्यमियों को ऋण देना संभव हो सकेगा।

खनिज एवं पेट्रोलियम :

180. उदारीकरण एवं निजीकरण के कारण यह आवश्यक हो गया है कि राज्य की खनिज संपदा के बेहतर प्रबंधन के साथ इसका दोहन किया जाये। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक नई **'खनिज नीति'** जारी की जायेगी।

181. राज्य सरकार द्वारा चालू वर्ष में खनिज सर्वे की 28 परियोजनायें हाथ में ली जायेंगी, जिनमें लिग्नाइट तथा नोबल मेटल्स शामिल होंगे। जीएसआई के सहयोग से चित्तोड़गढ़, राजसमन्द,

प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में जिओ–कैमिकल सर्वे करवाया जायेगा ताकि इन जिलों में उपलब्ध खनिजों की जानकारी प्राप्त हो सके। इस सर्वे पर 19 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

182. राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में तेल, गैस एवं कोयले के और अधिक भंडारों का पता लगाया जाये। राज्य में बाड़मेर–सांचोर बेसिन, जैसलमेर बेसिन एवं बीकानेर–नागौर बेसिन में 21 ब्लॉक्स के अंतर्गत, तेल, गैस एवं कोल बेड मीथेन की खोज एवं विकास हेतु लगभग 300 से 400 करोड़ रुपये तक का निवेश होगा और 30 कुएँ खोदे जायेंगे।

स्थानीय निकाय एवं शहरी विकास :

183. शहरों के योजनाबद्ध विकास एवं निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **'टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग एक्ट'** बनाया जाना प्रस्तावित है एवं वर्ष 2002 की टाऊनशिप नीति में आवश्यक सुधार कर इसे लागू किया जायेगा।

184. जयपुर में **'सेंटर फॉर अरबन अफेयर्स'** की स्थापना की जायेगी, जिससे प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

185. राज्य सरकार शहरों की कच्ची बस्तियों में निवास करने वाले ग़रीब परिवारों को अच्छे स्तर का जीवन–यापन करने के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधायें जैसे कि जलापूर्ति, सिवरेज एवं ड्रेनेज व्यवस्था तथा रोशनीयुक्त पक्की सड़कें आदि सुलभ कराने एवं ग़रीब परिवारों को

सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। भारत सरकार की महत्त्वकांक्षी योजनाएं जैसे जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन एवं राजीव आवास योजना के माध्यम से इस वृहद कार्य को गति प्रदान की जायेगी। इस दृष्टि से 68 नगर निकायों के लिये 227 करोड़ रुपये की कार्ययोजना बनाई गई है।

186. एकीकृत आवास एवं कच्ची बस्ती विकास योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में राज्य अंशदान सहित 60 करोड़ रुपये का ख़र्च अनुमानित है। राज्य सरकार का विशेष प्रयास रहेगा कि कच्ची बस्तियों में निवास करने वाले परिवारों को अभियान चलाकर यथाशीघ्र पट्टे जारी किये जायें।

187. आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के आवासों पर विशेष बल देते हुए एक नई **'आवास नीति'** तैयार की जायेगी। आगामी पाँच वर्षों में इन वर्गों के लिए हाऊसिंग बोर्ड, शहरी निकाय एवं निजी सहभागिता से 1 लाख 25 हजार मकान उपलब्ध कराये जायेंगे।

188. स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अंतर्गत पट्टों के वितरण हेतु हमनें कट–ऑफ डेट का पुनर्निर्धारण करते हुए पात्र व्यक्तियों को एक रुपये के शुल्क पर पट्टों का वितरण करने का निर्णय लिया है।

189. विभिन्न स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के काफी पद रिक्त चल रहे थे। हमनें 2 हजार 500 से अधिक रिक्त पदों को भरने एवं

नवगठित 6 नगर पालिकाओं में 373 नवीन पद सृजित करने का निर्णय लिया है।

190. हम यह चाहते हैं कि जयपुर को एक विश्वस्तरीय शहर **(World Class City)** के रूप में विकसित किया जाये। इस हेतु विचार–विमर्श कर एक व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार की जा रही है, जिसे समयबद्ध रूप से लागू किया जायेगा।

191. जयपुर शहर के लिए एक नया ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। इसमें वर्ष 2025 तक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। ड्राफ्ट मास्टर प्लान में लगभग 3 हजार वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। अनुमान है कि, जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की आबादी वर्ष 2025 तक 75 लाख पहुंच जायेगी। ड्राफ्ट मास्टर प्लान को जयपुर के हैरिटेज स्वरूप और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का सामन्जस्य रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें शहर को डिकंजेस्ट करने के लिए सेटेलाईट टाउंस, रिंग रोड, फ्लाई ओवर, आरओबी, पार्किंग व्यवस्था इत्यादि का भी प्रावधान रखा गया है।

192. जयपुर शहर में यातायात की समस्या के निराकरण हेतु जयपुर मैट्रो की एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। राज्य सरकार ने दिल्ली मैट्रो रेल निगम को इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु कहा है। आगामी 6 महीनों में रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी तथा राज्य सरकार इसे समयबद्ध तरीके से लागू करेगी।

193. जयपुर के चारों तरफ रिंग रोड बनाने के विषय पर काफी समय से विचार चल रहा है। हमनें निर्णय लिया है कि इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने की दृष्टि से यह कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा जाये।

194. जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी रिन्यूअल मिशन के तहत जयपुर एवं अजमेर–पुष्कर के विकास हेतु चालू वर्ष में 544 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

195. अजमेर नगर विकास न्यास का क्षेत्र बढ़ाकर इसमें पुष्कर को शामिल किया जायेगा। इसके अतिरिक्त माउण्ट आबू एवं आबू रोड के विकास हेतु एक **'नगर सुधार न्यास'** बनाने का निर्णय लिया गया है।

196. प्रदेश में राज्य स्तरीय **'हैरीटेज डवलपमेंट काउंसिल'** एवं **'हैरिटेज डवलपमेंट ऑथोरिटी'** का गठन किया जायेगा, जिनके माध्यम से राज्य की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण की व्यवस्था की जायेगी। इसके लिए इस वर्ष 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

197. शाहजहांपुर–नीमराना–बहरोड़ क्षेत्र के विकास हेतु ग्लोबल सिटी नीमराना का तथा ग्रेटर भिवाड़ी के लिए मास्टर प्लान तैयार किये जायेंगे, जिससे प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

198. शहरी जनसहभागिता योजना के क्रियान्वयन हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इस प्रावधान में से 25 प्रतिशत राशि

क़ब्रिस्तान एवं शमशान भूमि में आवश्यक सुविधाओं के लिए आरक्षित होगी।

199. कृषि भूमि के गैर–कृषि कार्यों में भू–उपयोग के नियमन हेतु **Rajasthan Land Revenue Act** का 90–बी का प्रावधान एक संवेदनशील एवं विवादास्पद विषय रहा है तथा इस संबंध में कई तरह की शिकायतें भी मिलती रही हैं। इस संबंध में हमनें फरवरी 2009 में नई गाईडलाइन्स जारी की हैं, जिससे इस प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्धता तथा अधिकारों का विकेंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया है। 90–बी के वर्तमान प्रावधानों में शीघ्र ही संशोधन किया जायेगा।

200. **BRTS** परियोजना लागू करने के संबंध में मिश्रित प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। अतः परियोजना की समीक्षा की जाकर जनहित में उचित निर्णय लिया जायेगा।

201. माननीय सदस्यों को प्रसन्नता होगी कि राज्य के छोटे एवं मध्यम शहरों के सुनियोजित विकास के उद्देश्य से आगामी तीन वर्षों में 109 शहरों के मास्टर प्लान बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु नगर नियोजन विभाग का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा तथा अब जिला स्तर पर भी इसके कार्यालय खोले जायेंगे।

पर्यटन :

202. पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष में ही **'राजस्थान पर्यटन अधिनियम'** बनाया जायेगा।

203. ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों का सृजन करने की दृष्टि से अगले पाँच वर्षों में प्रत्येक जिले में एक गाँव की परियोजना हाथ में ली जायेगी। प्रथम वर्ष में जोधपुर में खेजड़ली एवं खींचन तथा बारां में सोरसन में ऐसी परियोजनायें प्रारंभ की जायेंगी। इन परियोजनाओं पर 1 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

204. जिन नजूल संपत्तियों को पर्यटन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण समझा जाता है, उन्हें एक पारदर्शी नीति के अंतर्गत विकसित किया जायेगा।

205. राजस्थान की प्राचीन बावड़ियां, पुराने गढ़ और किले हमारी इतिहास गाथा का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। हम राजस्थान की बावड़ियों और पुराने किलों को **'यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट'** के रूप में चिन्हित करने के लिए प्रस्तावित कर रहे हैं।

206. पर्यटन क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन विभाग नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

कला एवं संस्कृति :

207. साहित्य, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को **'राजस्थान रत्न'** से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है।

208. जिन अकादमियों के स्वयं के भवन नहीं हैं, उनके लिए जयपुर में एक **'एकेडमी काम्प्लेक्स'** बनवाया जायेगा।

इसके साथ–साथ सभी अकादमियों की योजना अनुदान राशि को कम से कम दोगुना किया जायेगा।

209. मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक के म्यूजियम को विकसित करने के लिए 1 करोड़ 19 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

210. बीकानेर में अभिलेखागार म्यूज़ियम का निर्माण किया जायेगा जिस पर 1 करोड़ 13 लाख रुपये की लागत आयेगी।

211. जवाहर कला केंद्र को **'सेंटर फॉर परफोरमेंस एण्ड लिविंग आर्टस'** के रूप में रूपान्तरित करने की योजना है, जिस पर 1 करोड़ 25 लाख रुपये ख़र्च किये जायेंगे।

देवस्थान :

212. देवस्थान विभाग के मंदिरों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के कार्यों के लिए बजट प्रावधान 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करना प्रस्तावित है।

213. माननीय सदस्यों को विदित होगा कि वर्ष 2008 में अधिक वर्षा के कारण गैपरनाथ महादेव मंदिर कुण्ड, कोटा क्षतिग्रस्त हो गया था। इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

गृह :

214. राज्य की राजधानी एवं दरगाह शरीफ, अजमेर में हुए बम विस्फोटों की पीड़ा प्रदेशवासी आज भी अनुभव कर रहे हैं। भविष्य में ऐसी आतंकवादी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए हमारी सरकार ठोस कदम उठा रही है। आतंकवादियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जयपुर में एन्टी टेरेरिस्ट स्क्वाड **(ATS)** को और सुदृढ़ किया जायेगा एवं जोधपुर में एन्टी टेरेरिस्ट स्क्वाड **(ATS)** की एक नवीन यूनिट की स्थापना की जायेगी, जिसके लिए 3 करोड़ 29 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

215. वर्तमान परिस्थितियों में हमारे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो गई है। चालू वर्ष में श्रीनाथ जी मंदिर, नाथद्वारा एवं दरगाह शरीफ, अजमेर की सुरक्षा व्यवस्था मज़बूत करने पर 2 करोड़ 50 लाख रुपये ख़र्च होना अनुमानित है।

216. चालू वर्ष में जयपुर एवं जोधपुर में एक–एक अतिरिक्त इमरजेंसी रेस्पोंस टीम का गठन किया जायेगा, जिसके लिए 85 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार 4 संभागीय मुख्यालयों एवं दिल्ली में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप **(SOG)** की शाखाएं खोली जायेंगी, जिस हेतु 1 करोड़ 40 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

217. सुरक्षा व्यवस्था को मज़बूत करने हेतु एक और नई **'इंडिया रिज़र्व बटालियन'** का गठन किया जायेगा, जिसमें लगभग 850 सशस्त्र जवान होंगे। इस पर 18 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

218. प्रदेश की आन्तरिक सुरक्षा में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य में **'कम्युनिटी लाइज़निंग ग्रुप्स'** का पुनर्गठन किया जायेगा। इससे आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण हो सकेगा।

219. महिलाओं पर अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। चालू वर्ष में सीकर, जालौर, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ तथा बारां में महिला थाने खोले जायेंगे।

220. उप–निरीक्षक पुलिस के 480 रिक्त पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की जायेगी।

221. कांस्टेबल एवं हैड–कांस्टेबल्स के 1 हजार 955 नवीन पद सृजित किये जायेंगे तथा इन्हें सम्मिलित करते हुए कांस्टेबल्स के 5 हजार रिक्त पद भरे जायेंगे। यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में कांस्टेबल्स की सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले पदों को नियमित रूप से भरा जायेगा।

222. चोरी, डकैती एवं अन्य असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए जयपुर में 20, अजमेर में 10 एवं जोधपुर में 15 प्रमुख स्थानों पर विशेष पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक पेट्रोलिंग पार्टी में सशस्त्र मोटर साईकिल सवार होंगे। इस पर 2 करोड़ 13 लाख रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है।

223. चारों राष्ट्रीय राजमार्गों पर 5–5 ट्रेफिक एड पोस्ट की स्थापना की जायेगी, जिनके लिए 2 करोड़ 60 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

224. दौसा, करौली, प्रतापगढ़, डूंगरपुर एवं जालौर जिलों में चालू वर्ष में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की नई चौकियां खोली जायेंगी, जिन पर 3 करोड़ 83 लाख रुपयों की लागत प्रस्तावित है।

225. जेलों में मोबाईल टेलीफोन का दुरुपयोग रोकने की दृष्टि से सभी केंद्रीय जेलों में जैमर उपलब्ध कराये जायेंगे, जिनके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रहरियों के 250 पदों पर सीधी भर्ती की जायेगी।

226. बन्दियों को निर्धारित नोर्म्स के अनुरूप खुराक उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जा रहा है ताकि इस हेतु उपलब्ध कराई जा रही राशि में समुचित वृद्धि की जा सके।

न्याय प्रशासनः

227. अधीनस्थ न्यायालय भवनों एवं न्यायिक अधिकारियों के आवासों के निर्माण हेतु 16 करोड़ 13 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय भवनों में कम्प्यूटर कक्षों का निर्माण भी करवाया जायेगा।

228. जोधपुर में एक ज्यूडिशियल एकेडमी की स्थापना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त जोधपुर हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं के लिए कक्ष का

निर्माण किया जायेगा। इन कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्वः

229. हमारी पूर्व सरकार के कार्यकाल में हमनें प्रत्येक तहसील में उपखंड अधिकारी का कार्यालय खोलने की योजना लागू की थी। प्रदेश में अभी भी 52 तहसीलें ऐसी हैं, जहां उपखंड अधिकारी के कार्यालय स्वीकृत नहीं हैं। मैं इसी वित्तीय वर्ष में इन सभी 52 तहसीलों में उपखंड अधिकारी के कार्यालय स्थापित करने की घोषणा करता हूँ।

230. राज्य में स्थित कलक्टर, उप–खंड एवं तहसील कार्यालयों के निर्माण एवं रख–रखाव के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

स्वतंत्रता सैनानी :

231. वर्तमान में राज्य के स्वतंत्रता सैनानियों को 6 हजार 600 रुपये रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, जिसे मैं बढ़ाकर 8 हजार रुपये प्रतिमाह करना प्रस्तावित करता हूँ।

पत्रकार कल्याण :

232. अधिस्वीकृत पत्रकारों को वर्तमान में 2 हजार 500 रुपये प्रतिवर्ष तक की चिकित्सा हेतु दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। मेरा प्रस्ताव है कि इसके अतिरिक्त इन पत्रकारों द्वारा 1 लाख रुपये तक की मेडिक्लेम पॉलिसी लेने पर प्रीमियम की राशि का 75 प्रतिशत पुनर्भरण पत्रकार कल्याण कोष से किया जाये।

कर्मचारी कल्याण :

233. राज्य कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए संशोधित वेतनमानों का लाभ दिया जा चुका है। वेतनमानों में विसंगतियों के निराकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति की सिफारिशें प्राप्त होने पर राज्य सरकार उन पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कार्यवाही करेगी।

234. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों के रिवाईज़्ड पे–स्केल्स के संबंध में चढ्ढा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। आगामी दो महीने में समिति से रिपोर्ट प्राप्त कर रिवाईज़्ड पे–स्केल्स लागू की जायेंगी।

सूचना का अधिकार :

235. सूचना के अधिकार से सरकारी कार्यकलापों में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। हमारे प्रदेश से ही यह विचारधारा शुरू हुई थी और हमारी सरकार की ही इस सोच ने इसे एक वैधानिक स्वरूप प्रदान किया था। इस हेतु यह आवश्यक है कि राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यालय को सुदृढ़ किया जाये। अतः मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यालय हेतु अलग भवन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

कर प्रस्ताव

236. माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को मैंने विश्वव्यापी मन्दी तथा उसके प्रभाव के बारे में बताया है। मन्दी का प्रभाव व्यापार, उद्योग, वाणिज्य, निर्यात तथा **real estate** आदि अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख सेक्टर में परिलक्षित हो रहा है। राज्य के सभी करों की वृद्धि दर में भारी कमी आयी है। हमारी सरकार, राज्य के मूलभूत विकास के लिये कटिबद्ध है तथा इस हेतु पर्याप्त संसाधन जुटाना भी आवश्यक है।

237. बजट के कर प्रस्तावों को राज्य की जनता की भावना के अनुकूल बनाने के लिए, मैंने राज्य के उद्योग, व्यापार, किसान एवं समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से विस्तृत विचार विमर्श किया है । मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया सरल एवं व्यवहारिक हो तथा अर्जित राजस्व का जनकल्याण हेतु व्यापक उपयोग सुनिश्चित हो।

238. अध्यक्ष महोदय, इस पृष्टभूमि में वर्ष 2009–10 के कर प्रस्तावों को, आपकी अनुमति से सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ –

स्वच्छ, पारदर्शी, सरलीकृत एवं जवाबदेह कर प्रणालीः

239. वाणिज्यिक कर विभाग का राज्य के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। विभाग ने सन् 2008–09 में 8890 करोड़ रूपये का **tax collection** किया है, जो कुल **tax revenue** का 58 प्रतिशत है।

240. राज्य में 1 मई, 2008 से चैक–पोस्ट समाप्त करने के साथ ही सभी कर योग्य वस्तुओं को राज्य में लाने अथवा बाहर प्रेषित करने हेतु क्रमशः **VAT Form**–47 एवं 49, अनिवार्य कर दिया गया था। इससे व्यापारी वर्ग को, माल के आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी सरकार का विश्वास है कि राज्य के व्यापारी वर्ग राज्य के विकास हेतु समुचित एवं नियमानुसार कर जमा कराने की जिम्मेदारी भली–भांति समझते हैं। विश्वास का वातावरण कायम हो तथा राज्य में व्यापार कम से कम बाधाओं का सामना करें, इसी को दृष्टि में रखते हुए मैं प्रस्तावित करता हूँ कि **VAT Form**–47 एवं 49 की अनिवार्यता, पूर्व में अधिसूचित सिर्फ कुछ वस्तुओं तक ही सीमित रहेगी। मुझे विश्वास है कि सभी व्यापारी वर्ग इसका स्वागत करेंगे।

241. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि वाणिज्यिक कर विभाग में उड़न दस्तों की वर्तमान व्यवस्था को तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

242. कुशल एवं स्वच्छ कर प्रशासन के लिये सूचना संकलन के पश्चात ही, डीलर के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना उचित एवं व्यवहारिक है । इसी दृष्टि से भारत सरकार की तर्ज पर राज्य में वित्त विभाग के अधीन राजस्व आसूचना निदेशालय **(Directorate of Revenue Intelligence)** की स्थापना किया जाना प्रस्तावित करता हूं। यह निदेशालय, राजस्व के समस्त **sources** पर निगरानी रखेगा तथा **tax evasion** को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठायेगा।

243. मैं सदन को आश्वस्त करना चाहुंगा कि व्यवस्था में सरलीकरण के साथ–साथ ईमानदार करदाता का सम्मान, सुनवाई तथा सहायता के लिये विशेष ध्यान दिया जायेगा एवं ऐसे डीलर्स, जो **tax evasion** में लिप्त पाये जायेंगे, उनके एवं उनका प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहयोग करने वालों के विरूद्ध भी सख्त कार्यवाही की जायेगी।

244. व्यापारी वर्गों के यहां जॉंच के दौरान किसी प्रकार का परेशानी नहीं हो, इस हेतु विभाग द्वारा एक मार्गदर्शिका **(handbook)** जारी करने का निश्चय किया है।

245. नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त, **Prosecutor should not be a Judge,** को ध्यान में रखते हुए जिस अधिकारी द्वारा **tax evasion** का अभियोग बनाया जायेगा, उसका निर्णय अब अन्य अधिकारी द्वारा किये जाने की भी व्यवस्था की जा रही है।

246. रिटर्न **e-filing** करने में **digital signature** की अनिवार्यता को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

247. रिटर्न **e-filing** करने वाले ऐसे व्यापारी वर्ग जिन्होंने त्रैमासिक कर निर्धारण का विकल्प दिया है, उन्हें देय रिफण्ड **(Refund)** की 50 प्रतिशत राशि का **provisional** भुगतान, समय समाप्ति के दो माह में, अनिवार्य रूप से दिया जाना प्रस्तावित है।

248. वर्तमान व्यवस्था में, विभाग द्वारा रिफण्ड के साथ व्यापारी वर्गों को ब्याज की राशि का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है। अब रिफण्ड के साथ ब्याज का भुगतान स्थानीय स्तर से ही किया जाना प्रस्तावित है।

249. व्यापारियों द्वारा इलैक्ट्रोनिक माध्यम से सी–फार्म हेतु आवेदन करने पर, डाक द्वारा फार्म उपलब्ध कराने की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

250. अपील स्तर पर स्थगन आवेदन का एक माह में निर्णय नहीं होने पर मांग राशि स्वतः स्थगित करने की व्यवस्था प्रस्तावित है।

251. एक वर्ष से अधिक पुरानी सभी अपीलों का निपटारा 31 मार्च, 2010 तक कर दिया जायेगा।

252. उद्यमी एवं व्यापारी वर्ग द्वारा, किसी वस्तु विशेष पर, कर संबंधी स्पष्टीकरण चाहे जाने पर राज्यस्तरीय विभागीय कमेटी द्वारा, अधिकतम एक माह में निर्णय **(Determination)** उपलब्ध कराना अनिवार्य किया जा रहा है।

253. मेरी जानकारी में यह लाया गया है कि किसी एक मामले में राजस्थान कर बोर्ड के निर्णयों को विभाग द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के पश्चात भी अन्य समान मामलों में विभागीय स्तर पर डीलर को राहत

प्रदान नहीं की जा रही है। मैं यह प्रस्तावित कर रहा हूँ, कि विभाग यह सुनिश्चित करे कि डीलर्स को ऐसे मामलों में अपील नहीं करनी पड़े।

254. अभी ऐसे सभी व्यापारियों, जिनकी राज्य में विभिन्न स्थानों पर शाखाएं है, उन्हें प्रत्येक शाखा से रिटर्न की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस व्यवस्था को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

255. वैट कर प्रणाली में, व्यापारी वर्ग को, कर चुकाने तथा अन्य प्रक्रिया में हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिये, **user friendly** कम्प्यूटर आधारित सुविधा हेतु, प्रत्येक कर निर्धारण अधिकारी के स्तर पर, कर सुविधा केन्द्र **(Tax Facilitation Centre),** की स्थापना प्रस्तावित करता हुँ।

256. कर सुविधा केन्द्र के संचालन एवं विभागीय कार्यों में तेजी लाने के लिये, कर निर्धारण से संबंधित अधिकारियों को, कर सहायक **(Tax Assistant)** के रूप में, 531 **qualified computer assistant,** नई भर्ती द्वारा, उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

257. विभाग की कार्य क्षमता में सुधार करने हेतु लगभग 400 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी **(ACTO)** एवं अन्य कर्मचारियों की विशेष भर्ती करना प्रस्तावित है।

258. राज्य में 1 अप्रेल, 2006 से वैट व्यवस्था लागू की गई, लेकिन अनेक मामलों में, घोषणा प्रपत्र **(declaration form)** के अभाव में

अतिरिक्त मांग कायम की गई है। व्यापारी वर्गों को इससे हो रही असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, **declaration form** प्रस्तुत करने हेतु, अब अंतिम अवसर, दिनांक 31 मार्च, 2010 तक प्रदान किया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

259. मुझे विश्वास है कि, प्रस्तावित इन तमाम सुधार कार्यक्रमों को पूरा करने में सभी वर्गो का सहयोग मिलेगा।

कर की दरों में राहतः

260. राज्य में मार्बल, ग्रेनाईट तथा कोटा–निम्बाहेडा पत्थर की कर दर 4 प्रतिशत है, जबकि जनसाधारण द्वारा उपयोग में लिये जाने वाले ईमारती पत्थर, गिट्टी आदि की अधिसूचित कर दर 12.5 प्रतिशत है। राज्यभर में गरीब एवं मध्यमवर्ग द्वारा गृहनिर्माण में ऐसे पत्थर का बहुतायत से उपयोग किया जाता है। समाज के इन वर्गों को राहत प्रदान करने एवं राज्य में भवन निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, मैं समस्त प्रकार के ईमारती पत्थर एवं गिट्टी की कर दर को घटाकर 4 प्रतिशत करना प्रस्तावित करता हूँ।

261. हमारी सरकार औद्योगिक क्षेत्रों को प्रदूषण रहित बनाने तथा पानी की एक–एक बूंद को बचाने के लिये प्रतिबद्ध है। अतः सेन्ट्रल एफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट **(CETP)** में काम आने वाले उपकरण एवं रसायनों को कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

262. वर्तमान में टैक्सटाईल, जिनमें साड़ियाँ भी शामिल है, कर मुक्त है, लेकिन साड़ियाँ जिनपर एम्ब्रोयडरी, जरी, गोटा, सलमा, चुमकी, सितारा अथवा अन्य किसी प्रकार का सजावटी कार्य किया हुआ हो, के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं होने से इस व्यवसाय में भ्रांति व्याप्त है। अतः प्रदेश की महिलाओं के हित में तथा इससे जुड़े हुनरमन्द कारीगरों को राहत प्रदान करने की दृष्टि से, ऐसे समस्त प्रकार की साड़ियों को कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है। देश में निर्मित सिल्क साड़ी तथा आयातित साड़ियाँ पूर्ववत कर योग्य रहेगी।

263. पशु पालकों के हित में तथा राज्य में पशुआहार उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये डी–ऑयल्ड राईस ब्रान **(DORB)** को कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

264. समाचार पत्र लोकतन्त्र का एक मजबूत स्तम्भ है। जन समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कर निराकरण कराने में इन समाचार पत्रों के महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अतः न्यूज प्रिन्ट को कर मुक्त करना प्रस्तावित है।

265. राज्य में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करने तथा छोटे व मंझोले किसानों को राहत देने की दृष्टि में, मैं सूखा आँवला तथा जड़ी–बूटियों को कर मुक्त करना प्रस्तावित करता हूँ।

266. वर्तमान में स्कूलों की विज्ञान–प्रयोग शाला में काम में आने वाले उपकरणों की कर दर 12.5 प्रतिशत है। उसको घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

267. बॉट एवं माप की कर दर 4 प्रतिशत है, लेकिन इलेक्ट्रोनिक कांटे बाँट की कर दर के बारे में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अतः दोनों प्रकार के कांटे बॉट की कर दर में समानता के लिये इलैक्ट्रोनिक कांटे बॉट को 1 अप्रेल, 2006 से 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

268. पुरानी कारों की बिक्री पर कर दर 4 प्रतिशत है। मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत देने के लिये, मैं **used car** की इंजिन क्षमता के आधार पर, करारोपण प्रस्तावित कर रहा हूँ। अतः 1000सीसी तक इंजिन क्षमता पर एक मुश्त कर राशि रूपये 2000/– एवं इससे अधिक क्षमता होने पर, कर राशि रूपये 5000/– निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

269. खनिज आधारित उद्योगों को राहत देने के लिये, डाईमण्ड बिट्स की कर दर को 1 अप्रेल, 2006 से, 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

270. राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी के मार्गदर्शक सिद्धान्तों पर आधारित हमारी नीतियों के क्रम में, हमारी सरकार ने खादी एवं ग्रामोद्योग को सदैव प्रोत्साहित किया है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 31 मार्च, 2006 तक **KVIC** अथवा राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में पंजीकृत, ग्रामीण औद्योगिक ईकाइयों को एक–एक वर्ष के लिये कर से छूट दी जा रही थी। हमारी

सरकार आने के प्रथम 100 दिवस में ही इस व्यवस्था को समाप्त करते हुए कर से स्थायी छूट दी गई।

271. वैट व्यवस्था लागू होने के पश्चात् ग्रामोद्योग से संबंधित कर राहत में कई विरोधाभास उत्पन्न हो गये है। इन्हें समाप्त करने के लिये यह प्रस्तावित है कि साबुन, ईट, कोटास्टोन, मार्बल, सेन्ड स्टोन, लकड़ी तथा आयरन एवं स्टील के फर्नीचर, को छोड़कर शेष सभी खादी ग्रामोद्योगों के उत्पादों को कर से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है। इससे हजारों की संख्या में ग्रामोद्योग ईकाइयां लाभान्वित होंगी तथा गाँवों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे।

पंजीयन एवं मुद्राकः

272. सम्पत्ति के विक्रय से राज्य को स्टाम्प ड्यूटी के तहत मिलने वाले **Revenue** में भारी कमी आ गई है। मौजूदा मन्दी के कठिन दौर में अचल सम्पत्ति की बिक्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। वर्तमान में अचल सम्पत्ति के बिक्री पर 8 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी लगती है जबकि महिलाओं के लिये यह दर 5 प्रतिशत है। केन्द्र सरकार की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार का भी यही लक्ष्य है कि गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों को अपना स्वयं का आशियाना आसानी से उपलब्ध हो। अतः स्टाम्प ड्यूटी की मौजूदा दर 8 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत एवं महिलाओं के लिये यह दर 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

273. साथ ही, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि, राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में डी.एल.सी. रेट का निर्धारण लम्बित है। मन्दी के

बाबजूद भी डी.एल.सी. रेट से, वास्तविक मार्केट रेट काफी अधिक है। अतः जयपुर जिले में सभी प्रकार की भूमि की डी.एल.सी. रेट को तुरन्त प्रभाव से 25 प्रतिशत बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, राज्य के दूसरे जिलों में सभी प्रकार की भूमि की डी.एल.सी. रेट में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी किया जाना प्रस्तावित है। इससे काश्तकारों को उनकी अधिग्रहित भूमि का उचित मूल्य मिल सकेगा तथा जरूरतमन्द जनता को आवासीय ऋण भी अधिक मिलेगा ।

274. आर्थिक दृष्टि से कमजोर **(EWS)** तथा निम्न आय वर्ग **(LIG)** के परिवारों का मकान का सपना अब जल्दी साकार हो, इस हेतु **EWS** एवं **LIG** भूखण्डों एवं मकानों के प्रथम बार, आवंटन एवं बिक्री पश्चात् पंजीयन पर, **EWS** के लिये मात्र 10 रूपये तथा **LIG** के लिये 25 रूपये स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तावित करता हूँ।

भूमि करः

275. खान आधारित रोजगार एवं खान उद्योग में मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 9.3.2007 को अधिसूचित सीसा,जस्ता, ताम्बा, रॉकफास्फेट, सीमेन्ट ग्रेड एवं **Steel** ग्रेड लाईमस्टोन तथा जिप्सम धारित जमीन को छोड़कर, शेष पाँच श्रेणी की भूमि पर निर्धारित विभिन्न भूमिकर की दरों को 50 प्रतिशत कम करना प्रस्तावित है।

पर्यटन से संबंधित कर राहतः

276. सभी सम्भागीय मुख्यालय को विमान सेवा से जोड़ना पर्यटन विकास की दृष्टि से जरूरी है। अतः देश की सभी प्रमुख विमान सेवाओं

को राजस्थान की ओर आकर्षित करने के लिये विमानों के ईधन, एवीयेशन स्प्रीट की कर दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

277. होटलों में पर्यटकों की भारी कमी देखते हुए इस क्षेत्र को राहत देना उचित होगा। इस उद्योग को राहत देने के लिये 3000/– तक प्रतिदिन किराये के कमरे को **luxury tax** से मुक्त करने का प्रस्ताव रखता हूँ। मुझे विश्वास है कि इससे मध्यम श्रेणी के पर्यटकों को व्यापक राहत मिलेगी तथा पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी ।

नये कर प्रस्तावः

278. अध्यक्ष महोदय, राज्य के वित्तीय हालात के संबंध में सदन को मैं कुछ विशेष तथ्यों से अवगत कराना अपना कर्त्तव्य समझता हूँ। हाँलाकि पूर्व सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को चुनाव से पहले लागू कर दिया, परन्तु इसका लगभग पूरा बोझ नयी सरकार बनने के बाद उठाया गया है। गत वित्तीय वर्ष में दिसम्बर,08 से मार्च,09 के दौरान, समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग को नये वेतनमान के पेटे, ऐरियर सहित, 4000 करोड़ रूपये का भुगतान करना पड़ा है। इस वर्ष बढ़े हुए वेतनमान एवं शेष ऐरियर को चुकाने के लिये 6500 करोड़ रूपये की आवश्यकता रहेगी।

279. इस प्रकार, बढ़े हुए वेतनमान तथा ऐरियर कारण 10500 करोड़ रूपये का शुद्ध अतिरिक्त भुगतान का भार नयी सरकार के पहले वर्ष में ही आ चुका है।

280. इस प्रकार वर्ष 2007–08 में वेतन मद में कुल भुगतान 7700 करोड़ की तुलना में इस वर्ष से, 14000 करोड़ रूपये का वार्षिक दायित्व, आने लग गया है, जो लगभग दो गुना है। यह अपने आप में राज्य का वित्तीय संतुलन बनाये रखने के लिए गम्भीर चुनौती है।

281. पेंशन मद में भी भुगतान 2007–08 में 2600 करोड़ रूपये था। इस वर्ष छठे वेतन आयोग लागू होने के कारण, ऐरियर के साथ यह भुगतान 4600 करोड़ रूपये होगा। अतः इस मद में 2000 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भुगतान इसी वर्ष करना होगा।

282. वार्षिक वेतन वृद्धि के भुगतान के लिये पहले राज्यकोष से प्रतिवर्ष 150 करोड़ रूपये का ही **payment** होता था, अब यह खर्चा सालाना 300 करोड़ रूपये होने लग जायेगा।

283. मुझे आपको यह भी बताना है कि 31 मार्च, 2009 तक हमारे राज्य पर 84300 करोड़ रूपये का ऋण भार हो चुका है, जिसके कारण अब प्रतिवर्ष इसको चुकाने के लिए, 6200 करोड़ रूपये, ब्याज के पेटे तथा 2500 करोड़ रूपये, मूल कर्जे की किश्त के रूप में चुकाना पड़ेगा।

284. अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार हम सभी जानते है कि छठे वेतन आयोग के कारण वित्तीय भार बढ़ा चुका है जो की सन् 2008–09 एवं 2009–10 के लिये लगभग 12650 करोड़ रूपये है, उसकी व्यवस्था करनी है। इसके अलावा हम सभी यह भी जानते है कि विश्वव्यापी मन्दी के प्रभाव से राज्य तथा केन्द्र में **revenue** की आवक घटी है। पिछले वर्ष

सितम्बर, 2008 तक वाणिज्यिक कर की वृद्धि दर 25 प्रतिशत थी, जो अब 4 प्रतिशत पर आ चुकी है। स्टाम्प ड्यूटी से राज्य को लगभग 1400 करोड़ रूपये मिलते थे, जिसमें 25 प्रतिशत की कमी आ चुकी है, जिससे वर्ष के अन्त में लगभग 350 करोड़ रूपये कम प्राप्त होना सम्भावित है। इसके साथ–साथ केन्द्र से अनुदान एवं करों में हिस्सा राशि में कमी आने लग गयी है।

285. अध्यक्ष महोदय, जन–आकांक्षाओं के अनुरूप पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा की नई चुनौतियों का सामना करने के लिये अधिक राजस्व संसाधन जुटाना अत्यन्त आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि राज्य के विकास एवं जन–आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु लिये जा रहे इन निर्णयों को सदन एवं राज्य की जनता का पूर्ण समर्थन मिलेगा।

286. वेट की वर्तमान समान्य कर दर 12.5 प्रतिशत को बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

287. हम जानते है कि तम्बाकू तथा उससे आधारित विभिन्न प्रकार की उत्पाद मानव स्वास्थ्य के लिये सबसे हानिकारक पदार्थ है। तम्बाकू सेवन से जनमानस को विमुख करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा कई कदम उठाये गये हैं। मैं चाहूँगा कि तम्बाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों से बचें, ताकि स्वयं तथा परिवार की खुशहाली कायम रह सके। हमारी सरकार विदेशी मदीरा एवं बीयर पर 20 प्रतिशत वैट निर्धारित कर चुकी

है। अब तम्बाकू एवं इसके उत्पादों की वर्तमान 12.5 प्रतिशत कर दर को बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

288. राज्य में पेट्रोलियम एवं गैस के उत्पादन हेतु स्वीकृत लीज पर, भारत सरकार की सहमति से, ऐसी कम्पनियों पर सरफेस रेन्ट लगाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु, आवश्यक विधिक कार्यवाही सदन के इसी सत्र में सुनिश्चित की जायेगी। राज्य में **hydrocarbon** सम्पदा की नयी खोज एवं विस्तार के साथ, सरफेस रेन्ट राज्य के लिये राजस्व का एक नया स्त्रोत बनेगा।

289. जैसाकि मैंने पूर्व में उल्लेख किया है तथा माननीय सदस्यगण जानते हैं कि हमारा राज्य पेयजल की कमी से जूझ रहा है। हालात दिन–प्रतिदिन चुनौतिपूर्ण होते जा रहे हैं। वर्षा जल का संग्रहण, भूमिगत जल के रिचार्ज एवं इस संबंध में व्यापक जनजागरण के लिये अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता है। इस हेतु प्रति यूनिट विद्युत शुल्क पर मात्र 10 पैसा जल संरक्षण उपकर लगाना प्रस्तावित है। काश्तकारों तथा घरेलू उपभोक्ता के लिये यह अधिभार लागू नहीं होगा। इससे प्राप्त राजस्व का उपयोग केवल जल संरक्षण के लिये विभिन्न परियोजनाओं में खर्च किया जायेगा। इस हेतु सक्षम विधिक प्रावधान वित्त विधेयक, 2009 में लाया जा रहा है।

290. अत्यन्त कठिन हालात के बाबजूद, इन कर प्रस्तावों में आम आदमी, गरीब एवं किसान के जरूरत की वस्तुओं पर कोई नया कर नहीं

लगाया गया है तथा मुझे विश्वास है कि अगले पाँच वर्ष में ऐसी नौबत नहीं आयेगी।

291. मेरे द्वारा प्रस्तुत इन कर प्रस्तावों के द्वारा लगभग 400 करोड़ रूपये की अनुमानित राहत दी गई हैं तथा नये कर प्रस्तावों से लगभग 500 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होने की सम्भावना है।

परिवर्तित बजट अनुमान 2009–10 :

292. वर्ष 2009–10 के लिए परिवर्तित बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:–

1	राजस्व प्राप्तियां	38 हजार 267 करोड़ 97 लाख रुपये
2	राजस्व व्यय	39 हजार 676 करोड़ 61 लाख रुपये
3	राजस्व घाटा	1 हजार 408 करोड़ 64 लाख रुपये
4	पूंजी खाते में प्राप्तियां	11 हजार 508 करोड़ 59 लाख रुपये
5	पूंजी खाते में व्यय	10 हजार 60 करोड़ 75 लाख रुपये
6	पूंजी खाते में आधिक्य	1 हजार 447 करोड़ 84 लाख रुपये
7	बजटीय आधिक्य	39 करोड़ 20 लाख रुपये

राजस्व घाटा :

293. वर्ष 2009–10 के मूल अनुमानों में 913 करोड़ 20 लाख रुपये के राजस्व घाटे की तुलना में परिवर्तित बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 1 हजार 408 करोड़ 64 लाख रुपये रहने का अनुमान है। इस प्रकार राजस्व घाटे में 495 करोड़ 44 लाख रुपये की वृद्धि होना संभावित है। चालू वर्ष में राज्य का राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.67 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि पिछले वर्ष के नवीनतम अनुमानों के अनुसार यह अनुपात 0.43 प्रतिशत रहा है। इस प्रकार राजस्व घाटे के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में चालू वर्ष में 0.24 प्रतिशत की वृद्धि होना अनुमानित है।

समग्र बजटीय स्थिति :

294. वर्ष 2009–10 के मूल अनुमानों में 27 करोड़ 48 लाख रुपये का बजटीय आधिक्य अनुमानित किया गया था। अब परिवर्तित बजट

अनुमानों के अनुसार बजटीय आधिक्य 39 करोड 20 लाख रुपये अनुमानित है।

295. मैं वर्ष 2009–10 का परिवर्तित वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख रहा हूँ। साथ ही राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्त्व और बजट प्रबंध अधिनियम 2005 की अपेक्षानुसार मध्यकालिक राजवित्तीय नीति विवरण, राजवित्तीय नीतियुक्ति विवरण एवं प्रकटीकरण विवरण, मैं सभा पटल पर रख रहा हूँ। अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं।

296. सरकार में हम सभी न्यासी के रूप में हैं और हमें अपने–अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह निःस्वार्थ भाव से करना होता है। जनकल्याण के उपाय भी तभी सार्थक होंगे, जब हम आम आदमी, ग़रीब और दलितों की आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा कर सकेंगे।

297. मैं यहाँ पर महात्मा गाँधी का कथन दोहरा रहा हूँ –

> **''जब कभी आप दुविधा में हों या आपको अपना स्वार्थ प्रबल होता दिखाई दे तो यह नुस्ख़ा आज़मा कर देखिएगा। अपने मन की आँखों के सामने किसी ऐसे ग़रीब और असहाय व्यक्ति का चेहरा लाइये जिसे आप जानते हों और अपने आप से पूछिए कि क्या आपकी करनी उसके किसी काम आयेगी ? क्या उसे कुछ लाभ होगा ? क्या उस काम से उसे अपना जीवन और भविष्य बनाने में कुछ मदद मिलेगी ? बस इतना सोचते ही आपकी सारी दुविधायें दूर हो जायेंगी''**

298. इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आम आदमी, ग़रीब और गाँव को समर्पित इन बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ।